समाचार–प्रकाशनार्थ :–

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सीवरेज कार्य का निरीक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिये निर्देश

दो मुंह की बावड़ी के कचरे की सफाई करने के दिये निर्देश

रतलाम 12 अप्रैल । रतलाम नगर के नागरिकों को गंदे पानी की समस्या से मुक्ति दिलाये जाने हेतु नगर में डाली जा रही सीवरेज लाईन का कार्य अंतिम चरण में है, अंतिम चरण का कार्य शीघ्र–अतिशीघ्र पूर्ण हो इस उद्देश्य से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी के साथ विभिन्न स्थानों पर चल रहे शेष कार्यो का निरीक्षण कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

सीवरेज कार्य के तहत निगम आयुक्त श्री झारिया ने सर्वप्रथम दौलतगंज में चल रहे कार्य कार्य का निरीक्षण डाली जाने वाली शेष लाईन की लम्बाई व गहराई की जानकारी संबंधित कम्पनी के इंजीनियर से लेकर पाईप लाईन डलने के बाद रोड लेवल तक भराव कर पानी डालने मटेरियल दबने के बाद मुरम डालने व रोलर चलवाने के बाद रिस्टोरेशन कार्य करने के निर्देश दिये।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे रिस्टोरेशन कार्य का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन कार्य पुरी गुणवत्ता के साथ किया जाये।

इसके अलावा उन्होने गौशाला रोड चौराहा, हाट की चौकी, हाट रोड, महाराणा प्रताप चौक, सैलाना ओवर ब्रीज के पास व साक्षी पेट्रोल पम्प के पास चल रहे सीवरेज कार्य का निरीक्षण कर कम्पनी के इंजीनियर को निर्देशित किया कि वे शेष कार्य को तीव्र गति से व पुरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा कार्य के दौरान बेरिकेटिंग करने व कार्य का नाम, कार्य प्रारंभ की दिनांक, कार्य पूर्ण करने की दिनांक, कार्य की लम्बाई, इंजीनियर का नाम आदि का फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो मुंह की बावड़ी का निरीक्षण किया तथा बावड़ी के वर्षो पुराने कचरे को हटाने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिये ताकि प्राचीन जल स्त्रोत का पानी दूषित ना हो।

खटीक मोहल्ला में वर्षो पुरानी नाली की जाम समस्या के निराकरण गत रात्री को नाली के जाम को खुलवाने हेतु प्रारंभ किये गये कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा किया गया।

वार्ड में गंदगी पाये जाने पर रमेश डागर को सेवा से पृथक किये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 12 अप्रैल । सफाई कार्य में निरंतर लापरवाही बरतने व वार्ड में गंदगी पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 17 के स्थायीकर्मी सफाई संरक्षक व वार्ड प्रभारी रमेश डागर का एक दिवस का वेतन काटने, प्रभारी के पद से हटाये जाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

वार्ड की समुचित साफ–सफाई का दायित्व वार्ड प्रभारी का होता है, प्रभारी रमेश डागर द्वारा वार्ड में नियमित सफाई नहीं करवाये जाने व वार्ड में गंदगी पाये जाने पर

रमेश डागर का एक दिवस का वेतन काटा जाकर प्रभारी के पद से हटाया गया व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर–घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 12 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक–पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक–पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक–पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग–अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 12 अप्रैल। नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रूचि नहीं दिखा रहे है उनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 12 अप्रैल **। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।**

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 अप्रैल **। स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 12 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 12 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 12 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो

नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 12.04.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.